केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

क्र.: सीबीएसई/निदे./शैक्ष./2021 **दिनांक : 22.04.2021**

परिपत्र क्रमांक 31/2021

सीबीएसई से संबद्ध सभी संस्थानों के प्रमुख,

विषय: सत्र 2021-22 के लिए बोर्ड की आकलन और मूल्यांकन पद्धतियां

कॉम्पी**टेंसी बेस्ड एजुकेशन (सी.बी.ई.) की ओर अग्रसित होने के लिए, बोर्ड ने परिपत्र संख्या एकेड-05/2019 दिनांक 18.01.2019 के माध्यम से विद्यालयों को एन.सी.ई.आर.टी. अधिगम परिणाम अपनाने के लिए कहा था; वर्ष 2019-20 में परिपत्र संख्या एकेड-11/2019 दिनांक 06.03.2019 और वर्ष 2020-21 में परिपत्र नं. एकेड-18/2020 दिनांक 16.03.2020 के माध्यम से परीक्षाओं और मूल्यांकन पद्दतियों में समरूपी परिवर्तन किए गए और वर्ष 2020 में इस विशिष्ट विषय के अंतर्गत ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों और शिक्षकों का समर्थन किया गया।**

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 21वीं सदी की चुनौतियों का सक्रिय रूप से सामना करने के लिए छात्रों की रचनात्मक और समीक्षात्मक क्षमताओं को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए रटन आधारित अधिगम से दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने **पर जोर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने की क्षमता से सुसज्जित किया जाना चाहिए और मूल्यांकन को रट कर याद करने के कौशल से उस ओर स्थानांतरित करना चाहिए जो अधिक रचनात्मक है, अधिक क्षमता आधारित है, हमारे छात्रों के लिए अधिगम और विकास को बढ़ावा देता है, और विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और** सैद्धांतिक **स्पष्टता जैसे उच्च-क्रम कौशल का परीक्षण करता है।**

कॉम्पी**टेंसी बेस्ड एजुकेशन (सीबीई) को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने वर्ष 2020-21 हेतु परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में बदलाव शुरू कर दिए हैं। हालांकि परीक्षा के समग्र अंक और अवधि समान रहेगी, मूल्यांकन कार्यों की संरचना में बदलाव से हमें वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसलिए, आगामी सत्रों में अधिक संख्या में क्षमता आधारित प्रश्न, प्रश्नपत्र का हिस्सा होंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या अपरिचित परिप्रेक्ष्य में अनुप्रयोग का आकलन करते हैं।**

कक्षा

IX-XII (2021-22) की वर्ष-अंत/बोर्ड परीक्षा में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

कक्षाएं IX-X		
वर्ष-अंत परीक्षा/बोर्ड परीक्षा (सैद्धांतिक)	(2020-21) **वर्तमान**	(2021-22) **संशोधित**
रचना	• बहुविकल्पीय प्रश्नों सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्न-20% • केस-आधारित/स्रोत-आधारित एकीकृत प्रश्न - 20% • लघु उत्तर / दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-शेष 60%	• क्षमता आधारित प्रश्न न्यूनतम 30% होंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न, केस आधारित प्रश्न, स्रोत आधारित एकीकृत प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के रूप में हो सकते हैं। • वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20% होंगे। • शेष 50% लघु उत्तर / दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे (वर्तमान पैटर्न के अनुरूप) ।

कक्षाएं XI-XII		
वर्ष-अंत परीक्षा/बोर्ड परीक्षा (सैद्धांतिक)	(2020-21) **वर्तमान**	(2021-22) **संशोधित**
रचना	• बहुविकल्पीय प्रश्नों सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्न-20% • केस-आधारित/स्रोत-आधारित एकीकृत प्रश्न - 10%	• क्षमता आधारित प्रश्न न्यूनतम 20% होंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न, केस आधारित प्रश्न, स्रोत आधारित एकीकृत प्रश्न या

	• **लघु उत्तर / दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-शेष 70%**	**किसी अन्य प्रकार के रूप में हो सकते हैं।** • **वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20% होंगे।** • **शेष 60% लघु उत्तर / दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे- (वर्तमान पैटर्न के अनुरूप)**

शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु परिपत्र संख्या एकेड-26/2021 दिनांक 31 मार्च 2021 के माध्यम से पाठ्यक्रम दस्तावेज़ जारी किया गया था और संबंधित विषयों के प्रश्न पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन की विस्तृत जानकारी के लिए नमूना प्रश्न पत्रों का संदर्भ भी लिया जा सकता है।

डॉ. जोसफ इमानुवल
निदेशक (शैक्षणिक)

नीचे उल्लिखित सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रति।

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीटूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110 054
4. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस (स्कूल्स), संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ -160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
8. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई., सीबीएसई प्रकोष्ठ, वीआईपी रोड, जंगल घाट, पी.ओ. 744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9. निदेशक, केंद्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी
10. सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001
11. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (ए पी एस के पास), दिल्ली कैंट -110010
12. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों के बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को भेजने के अनुरोध के साथ।
13. सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव / सहायक सचिव / विश्लेषक, सीबीएसई
14. सभी प्रमुखों/ प्रभारियों, उत्कृष्टता केंद्र, सीबीएसई
15. सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रभारी आईटी एकक
16. प्रभारी, पुस्तकालय

17. प्रमुख (मीडिया और जन संपर्क), सीबीएसई
18. सीबीएसई अध्यक्ष के उप सचिव
19. सीबीएसई सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव
20. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
21. निदेशक (सूचना प्रद्योगिकी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
22. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (व्यावसायिक परीक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
25. निदेशक (सीटीईटी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
26. निदेशक (एडुसेट), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
27. रिकॉर्ड मिसिल